रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 287] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 29, 2015/कार्तिक 7, 1937
No. 287] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 29, 2015/ KARTIKA 7, 1937

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

(प्रतिलिप्याधिकार प्रभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2015

सं. एफ. 16-4/2012-सी.आर.बी./विधि-एकक.— एतद्वारा यह आदेश दिया जाता है कि मुख्य अधिसूचना संख्या 214 दिनाँक 14.08.2015 में मौजूद पैरा 3 में तात्कालिक प्रभाव से निम्नवत् रूप में संशोधित किया जाए:-

(1) 3(ii) जांच आरंभ होने के 15 दिनों के भीतर आईपीआरएस की ओर से जांच अधिकारी के साथ असहयोग करने की दशा में, आईपीआरएस के पंजीकरण के मामले में केन्द्र सरकार को समुचित कार्यवाही सुझाना;

(iii) यह भी सुझाना कि क्या जांच की अवधि के दौरान आईपीआरएस में प्रशासक की नियुक्ति की जानी है;

(2) मौजूदा उप-पैरा **3(iii), (iv) & (v)** दोबारा **3(iv), (v) & (vi)** के रूप में क्रमांकित किए जाएं।

एस. पी. गोयल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Higher Education)

(COPYRIGHT DIVISION)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 27th October, 2015

No. F. 16-4/2012-CRB/Leg.Unit.—It is hereby ordered that in principal Notification No. 214 dated 14.08.2015, the existing para 3 shall be amended in the following manner with immediate effect :-

(1) 3(ii) in case of non-co-operation from IPRS with the Inquiry Officer within 15 days of commencement of the enquiry, to suggest to the Central Government appropriate course of action regarding the issue of registration of IPRS;

(iii) to suggest as to whether an administrator has to be appointed in IPRS during the period of enquiry;

(2) The existing sub-para 3(iii), (iv) & (v) shall be re-numbered as 3(iv),(v) & (vi).

S. P. GOYAL, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.